न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र मीणा,आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 45/2015

प्रार्थीया

1.रामेश्वरी देवी पत्नी सेवाराम जाति जाट निवासी अमानीपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर हाल निवासी ओमपुरा तहसील कुचामनसिटी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ईश्वरराम पुत्र खांगाराम
2.नारायणराम पुत्र राजूराम
3.खेताराम पुत्र राजू
4.गुलाबीदेवी पत्नी भागुराम
5.भींवाराम पुत्र भागुराम कुचामनसिटी
6.मनोज पुत्र भागुराम
7.सुरेश पुत्र भागुराम
8.श्योपाल पुत्र भागुराम
9.मनुदेवी पुत्री भागुराम
10.शारदा देवी पुत्री भागुराम
11.सन्तोष देवी पुत्री भागुराम
12.पीका देवी पुत्री भागुराम
13.लक्ष्मी देवी पुत्री भागुराम जाति मेघवंशी निवासीगण औमपुरा तहसील कुचामनसिटी
14.मैनेजर जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा कुचामनसिटी
15.उप पंजीयक कुचामनसिटी
16.राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि (भूमिधारी) तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर

प्रार्थना–पत्र रास्ता दिलाने बाबत अन्तर्गत धारा 251(ए)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थीया की ओर सें।

आदेश

दिनांक :– 9/11/2015

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 251 ए का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम औमपुरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद मे स्थित खसरा नम्बर 712 रकबा 0.54 हैक्टर , खसरा नम्बर 1062/712 रकबा 0.54 हैक्टर कुल रकबा 1.08 हैक्टर की प्रार्थीया काबिज खातेदार कृषक है । ग्राम औमपुरा तहसील कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी में स्थित खसरा नम्बर 716 रकबा 4.17 हैक्टर भूमि अप्रार्थीगणो की काबिज खातेदारी की चली आ रही है । प्रार्थीया ग्राम औमपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1062/712 रकबा 0.54 हैक्टर भूमि में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 716 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे रास्ता बना रखा है एवं वही से आना जाना करते आ रहे है । अपने गाड़ी ट्रेक्टर मवेशी ईत्यादि लाने ल जाने के उपयोग मे करते आ रहे है । उक्त रास्ता इतने दिन तो खुला है एवं उपयोग उपभोग करता आ रहे थें लेकिन अब आने जाने के लिए इन्कार करने लग गये जबकि इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नही है, इसलिए यह रास्ता का प्रार्थना–पत्र लाना आवश्यक हुआ । खसरा नम्बर 716 रकबा 4.17 हैक्टर मे से उत्तरी सीमा के सहारे सहारे 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता पूर्वी से पश्चिमी तक उत्तरी सीमा के सहारे लम्बा रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

चाहिए जिसमे जो भी जमीन रास्ते मे जायेगी उसका सरकारी दर से जो राशि बनती है, वो जमा करने के तैयार जो भी मुआवजा बनता है प्रार्थीय अदा करने के लिए तैयार है । प्रार्थीया की इस्तदुआ है कि ग्राम औमपुरा के खसरा नम्बर 1062/712 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत कृषि भूमि खसरा नम्बर 716 रकबा 4.17 हैक्टर मे से उत्तरी तरफ सीमा के सहारे सहारे पूर्वी से पश्चिमी तक लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता दिलाया जावें एवं जिसका जो भी सरकारी दर से सहायता राशि बनती है, प्रार्थीया अदा करने को तैयार है । उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद कर के नक्शा ट्रेस में तरमीम कराने की अनुकम्पा करावें ।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया । अप्राथीगण बावजूद इतला अनुपस्थित रहे । जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । तहसीलदार कुचामनसिटी को उक्त प्रार्थना–पत्र की प्रति भिजवाकर सम्बन्धित विवादित भूमि रास्ता के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा दिनॉक 1.10.15 अनुसार प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 716 रकबा 4.17 हैक्टर भूमि फूलकी नारायणराम पुत्र राजूराम हिस्सा 4/9 खेताराम पुत्र राजूराम 1/9 गुलाबी देवी पत्नी भागूराम मनूदेवी शारदा देवी संतोष देवी पींकादेवी लक्ष्मी देवी पुत्रीया भागूराम हिस्सा 1/9 जाति मेघवाल निवासी कुकनवाली की खातेदारी भूमि है जिसका माठ के सहारे–सहारे पूर्व से पश्चिम की लम्बाई 235 मीटर चौड़ाई 4 मीटर जिसका कुल रकबा 940 वर्ग मीटर भूमि बनती है । इस भूमि में कोई पेड़ नही है । खसरा नम्बर 716 की पूर्वी व उत्तरी माठ के कोने पर एक 10 वर्ष पुराना जीर्ण–शीर्ण हालत का कच्चा पानी का छप्पर बना हुआ है । जोधपुर की 6 पट्टीयो पर रखा हुआ है । वर्तमान में खसरा नम्बर 716 पड़त पड़ा हुआ है । संलग्न नक्शे मे रास्ता लाल स्याही से दर्शाया गया है । रामेश्वरी देवी के खसरा नम्बर 1062/712 मे प्रवेश हेतु इससे नजदीक कोई रास्ता नही है ।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि ग्राम औमपुरा के खसरा नम्बर 712 रकबा 0.54 हैक्टर , खसरा नम्बर 1062/712 रकबा 0.54 हैक्टर कुल रकबा 1.08 हैक्टर में स्थित चली आ रही है । जिसके आस पास कोई कटाणी मार्ग या अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है । प्रार्थीया उपरोक्त भूमि में आने जाने एवं अपने मवेशी को लाने ले जाने हेतु यही एक रास्ता उपलब्ध है । जिसकी सरकारी कीमत बतौर मुआवजा अप्रार्थीगण को अदा करने को तैयार है । अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे । जिससे स्पष्ट है कि उक्त रास्ते को लेकर उन्हे किसी प्रकार का एतराज नही होना प्रतीत होता है । तहसीलदार कुचामनसिटी की मौका रिपोर्ट 1.10.15 अनुसार प्रार्थीया को न्यायहित मे रास्ता दिया उचित प्रतीत होता है । जिसका माप उक्त रिपोर्ट में अंकित है जो 940 वर्ग मीटर भूमि होती है । जिसकी कीमत प्रार्थीया अप्राथीगण 1 से 13 को अदा करने के लिए तैयार है ।

आदेश

ग्राम औमपुरा, तहसील कुचामन के खसरा संख्या 712 एवं 1062/712 में प्रार्थीया द्वारा आमद–रफत हेतु खसरा संख्या 716 की पूर्व से पश्चिम की लम्बाई 235 मीटर चौड़ाई 4 मीटर जिसका कुल रकबा 940 वर्ग मीटर कुल रकबा 0.0940 हैक्टर का रास्ता सरकारी घोषित किया जाता है। ग्राम औमपुरा की भूमि की डीएलसी दर 202800/– रूपये प्रति हैक्टर होने से 0.0940 है0 की दर 19063/–रूपये की दो गुनी दर 38126/– रूपये प्रार्थीया द्वारा जरिये बैंक ड्राफ्ट/बैंक चैकर द्वारा बैंक में जमा कराकर रसीद पेश करने पर राजस्व रेकड़ में अमल दरामद तहरीर जारी हो तथा अप्रार्थीगण 1 से 13 को सूचित किया जाता है कि अपने हक हिस्से की भूमि की मुआवजा राशि न्यायालय से 1 माह मे उपस्थित होकर प्राप्त कर लेवे। मिसल नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 9/11/2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)